

तारीख
हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

अदालत
हुकम की
में जारी

8/8/23

पत्रावली वास्ते अदेश पेश हुई वदन
पर मनन किया गया। प्राप्ति अथ प्रत्युक्त
प्रापक का आवेदन किया विपरीत न।
से 4 वाउचर प्रदान के अनुपात रहे
से अमिदादी नदीलाल, वीमादी से
प्रापक के परिपत्र में भौका सिरोभांकी
हुई। नदीलाल सिरो के अंकन किया कि
आ.नं. 235 रकबा 0.25 है अथ प्रत्युक्त
के नाम हुई सिरो ही व आ.नं. 279 रकबा
0.26 है अथ प्रेश गुमाद, दिलीप कुयद, पुष्प
उकी पिता सीरालाल इकी के नाम सिरो
हुई परन्तु वर्तमान रकबा नये अनुपात
पूर्व दिशा में आ.नं. 235 व पश्चिम दिशा
में आ.नं. 279 है किन्तु भौके पद नदीलाल
विपरीत होकर पूर्व दिशा में आ.नं. 279
है व पश्चिम दिशा के आ.नं. 279 है व
पश्चिम दिशा में 235 है अतः नदीलाल
विपरीत होकर एक दुसरे विपरीत है
अतः एखे जांच सिरो नदीलाल
वीमादी के अनुसार प्रापक सिरो
किया जाकर भौका मुंजवा की आरजी
नम्बर 939/2 जिले के नये नम्बर
279 रकबा 0.26 है व आरजी नम्बर

उप
अधिकारी
जिला चित्तौड़गढ़

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अदालत जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुई
	<p> 9391, जिसके नम्बर नम्बर 235 रकबा 0.2500 हेक्टर भूमि को राजस्व नम्बर में 279 की जागह 235 ^{रकबा 0.25 हे} व 235 की जागह 279 रकबा 0.2500 हेक्टर को शुद्ध किया जाने का आदेश दिया जाना है। निर्णय की प्रति पालनार्थ नदीसाद कीसादजी को प्रेषित की निर्णय से राजस्व लिखावाह, जाका सुनायगण पत्रालय की कार्यवाही वही लाल पत्र ^{पत्र} की जाका फोन नम्बर 2548 के नम्बर के लफ्त है। </p>	

जज.
 उप खण्ड अधिकारी
 नदीसादजी, जिला विसाईगढ़